अपील सूचना अधिकार संख्या 33/2021 (RCMS 2021/54) (RTI 212194735382705) संतोष कुमार पुत्र श्री श्रीराम जाति बिश्नोई चक 11 के एस डी गांव रासुवाला पोस्ट ऑफिस रासुवाल तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) मोबाईल नं. 9950345353 बनाम श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी महोदय, श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

26.07.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी संदीप कुमार उपस्थित नहीं है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि **अपीलार्थी श्री संतोष कुमार** ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र दिनांक 30.01.2021 प्रस्तुत करके नौ बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो उन्होनें उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री संतोष कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.01.2021 के द्वारा अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. वर्तमान में राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के पद पर पदस्थापित श्रीमान करतार सिंह पूनिया, आर.ए.एस. की उक्त पद से सम्बन्धित सर्विस बुक (सेवा पुस्तिका) के प्रत्येक पृष्ठ की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदान करें।
2. वर्तमान में राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के पद पर पदस्थापित श्रीमान करतार सिंह पूनिया, आर.ए.एस. की उक्त पद से सम्बन्धित पर्सनल फाईल (व्यक्तिगत पंजिका) के प्रत्येक पृष्ठ की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदान करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:38:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. उक्त श्री करतार सिंह पूनिया आर.ए.एस. के खिलाफ आजतक विभाग अथवा उच्चाधिकारियों को कितने परिवाद/प्रार्थना पत्र/शिकायत आदि प्राप्त हुऐ है? प्रत्येक परिवाद/प्रार्थना पत्र/शिकायत की प्रमाणित प्रतिलिपि विवरण सहित उपलब्ध करावें।
4. क्या उक्त श्री करतार सिंह पूनियां आर.ए.एस. के खिलाफ कोई विभागीय जांच अथवा कार्यवाही उक्त की नियुक्ति के उपरान्त सेवाकाल के दौरान की गई अथवा लम्बित है? इस सम्बन्ध में प्रत्येक सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करें।
5. क्या उक्त श्री करतार सिंह पूनियां आर.ए.एस. को उक्त की नियुक्ति के पश्चात सेवाकाल के दौरान किसी भी स्तर पर दण्डित किया गया था अथवा किया गया है? इस सम्बन्ध में प्रत्येक सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदान करें।
6. क्या उक्त श्री करतार सिंह पूनिया आर.ए.एस. के खिलाफ उक्त की नियुक्ति के पश्चात सेवाकाल के दौरान कोई मुकदमा दर्ज हुआ था अथवा हुआ है? यदि हां तो इस सम्बन्ध में प्रत्येक सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदान करे।
7. उक्त श्री करतार सिंह पूनियां आर.ए.एस. की नियुक्ति तथा नियुक्ति के पश्चात अर्जित की गई प्रत्येक चल व अचल सम्पति, जंगम सम्पति व बैंक खातों से सम्बन्धित प्रत्येक की ब्यौरेवार प्रमाणित सूचना प्रदान करें।
8. उक्त श्री करतार सिंह पूनियां आर.ए.एस. को उक्त की नियुक्ति के पश्चात सेवाकाल के दौरान किन–किन न्यायालयों में कहां–कहां पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, तथा उक्त अधिकारी द्वारा आजतक जिन–जिन न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:38:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

करते हुऐ मुकदमों के निर्णय पारित किये गये, उन तमाम पक्षकारों के नाम , मुकदमा का विवरण, अधिवक्ता वादी व अधिवक्ता प्रतिवादी सहित निर्णयों की दिनांक सहित सूविचार प्रमाणित सूचना प्रदान करे।

9. उक्त श्री करतार सिंह पूनियां आर.ए.एस. का उक्त की नियुक्ति के पश्चात सेवाकाल के दौरान विभाग द्वारा किन–किन पदों पर कब–कब व कहां–कहां पद्दोन्त किया गया? इस सम्बन्ध में प्रत्येक सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदान करे।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई/––/ 2021/511 दिनांक 28.01.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 30.01.2021 द्वारा चाही गई सूचना जिला निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 152 दिनांक 01.02.2021 द्वारा लिख दिया गया था जिसकी प्रति पत्रांक 153 दिनांक 01.02.2021 द्वारा आपको भी उपलब्ध करवा दी गई थी।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:38:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से था इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के द्वारा अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) का प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को स्थानान्तरित कर दिया गया है। इसलिए अपीलार्थी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा ही अपीलार्थी के द्वारा चाही गई सूचनाओं पर निर्णय लिया जाना है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर** को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:38:04 IST
Reason: SelfAttested